आर्थिक नीतियों का कृषि पर मूल्यांकन

- मुकेश कुमार मीना/ विनोद कुमार

सीमित आवश्यकता और संसाधनों वाली कृषि आधारित परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। आत्मनिर्भर कृषक अपनी आवश्यकताओं और कृषि आगतों के लिए धीरे-धीरे बाजार पर निर्भर होता चला गया है; और अब अन्य क्षेत्रों से उसका सम्बन्ध परस्पर निर्भरता का है। कृषि सम्बन्धी उद्योग और सेवा क्षेत्र पूर्णतः बाजार अर्थव्यवस्था को अपना चुके हैं। लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं हैं, आजकल कृषि कार्य स्व-उपभोग के लिए ना होकर बाजार के लिए किया जा रहा है। आज बाजार ही निर्धारित करता है कि किसान क्या उत्पादन करेगा और कितनी मात्रा में बाजारवादी अर्थव्यवस्था में हर इकाई को अपने अस्तित्व के लिए अधिकतम के सिद्धांतों पर चलना पड़ता है; इसलिए परम्परागत आगतों और तरीकों पर आधारित कृषि के स्थान पर अब कृषि बाजार हावी हो रहा है, किसान हाशिये पर आ गया।

आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है; जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, परन्तु किसान को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई।

बाजार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लगी इकाइयों की आय में वृद्धि कृषि वस्तुओं के उत्पाद में प्रयुक्त आगतों और सेवाओं की मूल्य नीति, कृषि वस्तुओं के उत्पादन की मूल्य नीति और कीमतों को नियंत्रित करने वाली सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। सामन्यतया कृषि आगतों में बीज, खाद, कीटनाशक, पानी, बिजली, जमीन का लीज का मूल्य, कृषि श्रम का नगद मूल्य, कृषि उपकरण, कृषि सेवाएँ, कृषि ऋण का ब्याज तथा कृषि बीमा का प्रीमियम इत्यादी आता है। जिनके अधिक मूल्य कृषि के लाभ को कम करते हैं। इसी प्रकार विपणन नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, ट्रांसपोर्ट नीति, मंडी व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है, इसी प्रकार कीमत नियन्त्रण नीति के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संग्रहण नीति आयात-निर्यात नीति, अप्रत्यक्ष कर नीति, इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है; ये सभी नीतियाँ सम्मिलित रूप से कृषि के लाभ को निर्धारित करती हैं।

कृषि में लाभ के नीतिगत कारणों का विश्लेषण : संविधान में वर्णित आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की सरकारी नीतियों में उद्योगों के लिए सस्ता कच्चा माल, श्रम और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध करवाने की नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इनके लिए कृषि उत्पादों की कीमत नीची रखने के लिए सरकार बफर स्टाक रखने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर आवश्यक खाद्यान्न का वितरण भी करती है। इसके साथ सरकार वैश्वीकरण के दौर में आयात-निर्यात के माध्यम से देश में कृषि वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करती है। जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल होती है जो न्यूनतम एसेस और सब्सिडी से सम्बन्धित है जिससे कीमतों को नियंत्रित

किया जाता है। इन नीतियों का विश्लेषण आवश्यक है।

बाजारात्मक कारण : माँग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से कृषि उत्पादों की कीमत और लाभ का नियन्त्रण-

1. देश की बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिए खाद्यान्न की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कृषि वस्तुओं का एक बफर स्टॉक बनाया हुआ है, जो बाजार में कृषि वस्तुओं की माँग को नियंत्रित करता है। इससे माँग तीव्र रूप से नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार के अधीन भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) को खाद्यान्नों के संग्रहण में लगाया हुआ है; जो आवश्यक कृषि वस्तुओं का संग्रहण करते हैं। सरकार आयात और निर्यात नीति के द्वारा भी एक बड़ा स्टॉक बनाकर रखती है, जिससे कृषि वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया जाता है। सरकार के द्वारा आयात-निर्यात और संग्रहित खाद्यान्न को गोदामों से बाजार में निकालने का निर्णय कृषि वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करता है।

2. भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का बड़ा अनुपात है, जिनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाती है। इसका दूसरा काम कृषि की कीमतों को नीचे स्तर पर बनाए रखना भी है।

3. कृषि आगतों की कीमत में वृद्धि जैसे-बीज, फर्टिलाईजर, कृषि मशीनरी, कृषि श्रम और सेवाओं, कीटनाशक दवाइयों, बिजली-पानी की कीमत, तथा अन्य आगतों की पूर्ति करने वालों पर कोई नियन्त्रण नहीं है; वे इनका उत्पादन लाभ अधिकतम करने के सिद्धान्त पर करते हैं। इन कृषि आगतों के उत्पादकों को मनमाने अधिकतम खुर्दरा मूल्य (एम. आर. पी.) निर्धारण का अधिकार होना, कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य के आसपास नियंत्रित करना।

4. वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण कृषि उत्पादों की पूर्ति में वृद्धि हो गई है। घरेलू कीमत वैश्विक कीमत से अधिक होने के कारण वैश्विक कीमत पर असीमित खाद्यान्न की पूर्ति होती है। इस कारण कृषि उत्पादों की कीमत निचले स्तर पर स्थिर रहती है।

विकासात्मक कारण : कृषि में लाभ में कमी के नीतिगत कारणों में विकास को लेकर विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। जो निम्न प्रकार हैं :

उद्योगों के विकास के लिए सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता होती है यदि कृषि क्षेत्र से प्राप्त आगतों की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे औद्योगिक उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी और प्रतिस्पर्धा में कमी होगी। इसके साथ ही लाभ में कमी होने से पूँजी निर्माण की दर में कमी होगी। इसलिए कृषि उत्पादों की कीमत पर नियन्त्रण करना आवश्यक है।

2. ग्रामीण क्षेत्र से सस्ते श्रम को शहरी क्षेत्रों में प्रयोग कर विकास को लेकर लेविस, फाई रेनिस ने अपने मॉडल दिए जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है जिसके लिए सस्ते खाद्यान्न की आवश्यकता होती है क्योंकि श्रमिक वर्ग के उपभोग का बड़ा हिस्सा खाद्यान पर खर्च किया जाता है।

3. सरकार के द्वारा राजकोषीय संतुलन के नाम पर कृषि आगतों में दी जाने वाली सहायकियों और निवेश में लगातार कटौती की

जा रही है सहायकियों में कटौती के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों की शर्तों का हवाला दिया जा रहा है। इससे कृषि लागतों में वृद्धि होती है और लाभ में कमी होती है।

4. सरकार ने कृषि उत्पादों की कीमत नियन्त्रण के नाम विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया हुआ है जिससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ावों का लाभ कृषक को नहीं मिलता है। थोक मूल्य या मंडी के भाव और खुदरा कीमतों में बहुत अंतर होता है जिसका लाभ बिचोलिये उठाते हैं जिससे कृषि में लाभ का स्तर गिर जाता है। सरकार के द्वारा शुरू की गयी भावान्तर जैसी योजनाओं का विस्तार और क्षेत्र कुछ फसलों तथा कुछ स्थानों तक सीमित है।

वित्तीय कारक : वित्त व्यवस्था के माध्यम से कृषि उत्पादों की कीमत और लाभ नियन्त्रण :

विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय साधनों की लागत कृषि में होने वाले लाभ की दर की तुलना में अधिक होना। कृषि ऋण अधिकांश औपचारिक स्रोतों की तुलना में अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है।

कृषि क्षेत्र में ऋण जमीन के बदले स्रोत में दिया जाता है जो कृषक के उत्पादन का स्रोत है। इसलिए ऋण नहीं चुकाने या कृषि में घाटा होने की स्थिति में कृषक के उत्पादन के साधन ही नीलाम कर दिये जाते हैं, जबकि उद्योगों में व्यक्तिगत सम्पति को औद्योगिक इकाई से अलग माना जाता है।

कृषि उत्पादन में अनिश्चितता की अत्यधिक संभावनाएँ हैं जबकि उसके अनुसार बीमा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, और बीमा की मुआवजा राशि के भुगतान के तरीकों में अत्यधिक कमियाँ दिखाई देती हैं, जो कृषि के क्षेत्र में लाभ को कम करके उसको जीवनयापन के लिए किए गये कार्यों की ओर धकेल देती हैं।

इस प्रकार बाजारात्मक कारक, विकासात्मक कारक और वित्तीय कारक कृषि लाभ को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में कृषि को लाभोन्मुखी बनाने के लिये निम्न सुधार अपेक्षित हैं-

समय-समय पर किसान संगठनों ने माँग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय सभी अवसर लागतों और आर्थिक लागतों को सम्मिलित करके कृषि उत्पादों के मूल्य को निर्धारित किया जाये। इसमें एक न्यूनतम स्तर के लाभ को जोड़ा जाए, जिससे इसको लाभदायक बनाया जा सके।

कृषि उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में अंतर का लाभ जो केवल व्यापारियों और दलालों को जाता है उसे कृषक को ट्रांसफर करवाया जाये अर्थात् भावंतर(दोनों मूल्यों में अंतर) का 50 प्रतिशत सीधे कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया जाये।

मंडी का संचालन गाँव के कृषकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से संस्था बनाकर किया जाये। किसानों को अपनी फसल सीधे बेचने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाये।

कृषि वस्तुओं और खाद्यान्न का संग्रहण और वितरण संस्थाएँ जैसे एफ. सी. आई. संस्थाओं में कृषकों की भागीदारी हो और यह संस्था कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की पूरी व्यवस्था हो अर्थात् इसके सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जाये।

सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर अपने बजट का पर्याप्त भाग गाँव-गाँव में कृषि के सार्वजनिक संग्रहण

केंद्र बनाने में खर्च करे। मनरेगा और अन्य ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से इसके लिए बिल्डिंग तैयार की जाये। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी सस्ती दर पर फसल संग्रहण की व्यवस्था की जाये। फसल की सप्लाई चेन स्थापित की जाए, जिससे फसल उपयुक्त क्षेत्र तक पहुँच सके।

यदि सरकार महँगाई कम करना चाहती है या खाद्यान्न को गरीबों की पहुँच में रखने के लिए मूल्य निचले स्तर पर रखना चाहती है तो कृषि आगतों जैसे खाद, बीज, कृषि उपकरण, शोध सेवाएँ इत्यादि को शून्य वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के स्तर पर लाया जाये, जिससे फसल का उत्पादन लागत मूल्य कम किया जा सके। अर्थात् आंतरिक स्तर पर लगा टेक्स कम किया जाना चाहिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल बिजली पर शून्य टेक्स की नीति अपनाई जानी चाहिए। कृषकों के लाभ की लागत पर कृषि उत्पादों का मूल्य कम रखना कृषक को गरीबी की ओर धकेलना है अर्थात् सरकार को खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों पर न डालकर सार्वजनिक वित्त से करने की आवश्यकता है।

कृषकों को बाजार ऋण की जगह कम ब्याज के दीर्घकालीन और विभिन्न सेवा शुल्कों से मुक्त ऋण दिए जाएँ। किसी भी स्थिति में उद्योगों को भार किसानों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं डाला जाए। न्यूनतम बैलेंस की शर्त को किसानों के साथ ना रखी जाये। कृषकों के लिए एक आपातकालीन फंड तैयार रखा जाये जो हर स्थिति में कृषकों को सहायता उपलब्ध करवाएँ। किसी भी स्थिति में कृषक की जमीन को कोई सरकारी और निजी बैंक नीलाम नहीं करे।

कृषकों को फसल और स्वस्थ बीमा उपलब्ध करवाया जाये और बीमा कंपनी को ना लाभ ना हानि के सिद्धांत से संचालित किया जाये, ना कि कृषकों से मोटा प्रीमियम वसूल कर कृषकों को लूटा जाये। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधाएँ गाँवों तक उपलब्ध करवाई जाएँ तथा कृषि कार्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना या स्थायी अपंगता पर पर्याप्त मुआवजा और परिवार को रोजगार की व्यवस्था की जाए।

आज जरूरत है कि सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ायें, विकसित राष्ट्र बड़ी मात्रा में अपने किसानों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी.ओ.) के माध्यम से भारत को कृषि में दी जा रही रियायत को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अगर भारतीय कृषि और भारतीय कृषक को बचाना है तो सरकारी मदद को बढ़ाना पड़ेगा। चूँकि विकास दर बढ़ाने का मूलमन्त्र कृषि ही है अतएव इस क्षेत्र के लिए ठोस व प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन से ही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की धुँधली होती तस्वीर को उजला बनाना सम्भव है। कृषि को लाभ की ओर अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए ई-मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, अबाधित बिजली आपूर्ति तथा समय पर कर्ज दिए जाने जैसे विभिन्न आधुनिक उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

मुकेश कुमार मीना
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001 (राजस्थान)
मो. 9990893049

विनोद सेन
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय
अमरकंटक-484886 (म.प्र.)
मो. 9377427964